जिला पदाधिकारी, मुंगेर सह अध्यक्ष, जिला स्तरीय सुरक्षा समिति की अध्यक्षता में दिनांक 17.11.2012 को श्री विजय कुमार सिंह, अध्यक्ष–सह–निदेशक, बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक, बिहार–झारखण्ड से प्राप्त आवेदन पर निर्णय लेने हेतु सम्पन्न जिला सुरक्षा समिति की विशेष बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति –

1. श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला सुरक्षा समिति, मुंगेर।
2. श्री पी0 कन्नन, पुलिस अधीक्षक, मुंगेर।
3. पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर।

चूँकि यह मामला श्री विजय कुमार सिंह द्वारा अनेको स्तरों पर अनेको बार आवेदन देने कारण अत्यंत जटिल हो गया है। अतः सामान्य बैठक के तुरंत बाद विशेष बैठक का आयोजन किया गया। श्री विजय कुमार सिंह, अध्यक्ष–सह–निदेशक, बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक, बिहार, झारखण्ड को अंगरक्षक प्रतिनियुक्त करने के संबंध में गृह (आरक्षी), विभाग, बिहार, पटना के अवर सचिव श्री अमरेश कुमार सिन्हा के ज्ञापांक 2/जी01–1018/09 गृ0आ0, 7216, दिनांक 05.09.12 प्राप्त है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि :–

''निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री विजय कुमार सिंह, अध्यक्ष–सह–निदेशक, बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक, बिहार एवं झारखंड, बुद्धमार्ग, पटना ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा याचिका आवेदन सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 7776/2011 एवं 2508/12 में पारित आदेश के आलोक में अपनी सुरक्षा हेतु अंगरक्षक एवं हाउस गार्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त निदेश तथा इस संबंध में प्राप्त विभिन्न पत्रों के आलोक में गृह विभाग, बिहार के पत्रांक 13161, दिनांक 30.08.11 के द्वारा श्री विजय कुमार सिंह को मुंगेर जिला बल से दो अंगरक्षक तथा जमुई जिला बल से हाउस गार्ड उपलब्ध कराने हेतु निदेश पूर्व में दिया गया है। अतः अनुरोध है कि विभागीय निदेश का अनुपालन करने की कृपा की जाय।

इस संबंध में पूर्व में भी गृह (विशेष) विभाग के अवर सचिव, श्री विजय कुमार वर्मा का पत्रांक जी/कोर्ट केस–07/2011, 13161, दिनांक 30.08.11 प्राप्त हुआ था जिसपर एवं अन्य तथ्यों पर सम्पूर्ण विचारण के उपरान्त दिनांक 22.10.2011 को सम्पनन जिला सुरक्षा समिति की बैठक में उनके अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति के आवेदन को अस्वीकृत किया गया था तथा बैठक की कार्यवाही प्रधान सचिव, गृह (विशेष), बिहार, पटना को भी इस कार्यालय के ज्ञापांक 2587, दिनांक 23.10.11 से प्रेषित की गयी थी।

पुनः सरकार के अवर सचिव श्री अमरेश कुमार सिन्हा के पत्र में मात्र विभागीय पत्रांक 13161, दिनांक 30.08.11 का उल्लेख है, किन्तु उसके बाद जिला सुरक्षा

समिति में लिये गये निर्णय अथवा MJC सं0 3271/11 में विभाग की तरफ से प्रधान सचिव द्वारा दायर प्रतिशपथ पत्र की कोई जानकारी नहीं है। उल्लेखनीय है कि MJC सं0 3271/11 में दिनांक 04.01.12 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रधान सचिव के प्रतिशपथ पत्र दायर करने के उपरान्त याचिकाकर्त्ता द्वारा अवमानना वाद याचिका वापस लिया गया था। **सहजता हेतु MJC सं0 3271/11 में दिनांक 04.01.12 के आदेश की वेब प्रति अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।**

पुनश्च श्री विजय कुमार सिंह द्वारा CWJC सं0 2508/12 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर दिया गया जिसकी सूचना इस कार्यालय को नहीं है किन्तु अवर सचिव श्री अमरेश कुमार सिन्हा के पत्र में उसका उल्लेख है। **सहजता हेतु CWJC सं0 2508/12 में दिनांक 03.08.12 को पारित माननीय उच्च न्यायालय को आदेश की वेब प्रति अनुलग्नक–2 के रूप में संलग्न है।**

CWJC सं0 2508/12 में दिनांक 03.08.12 को पैरा–3, 4 एवं 5 में निम्न आदेश का उद्धरण किया गया है :–

"3. *It appears. the state Government under order beaing letter no. 13161 dated 30.08.12 giving reference to the request made by the Government of India called upon the Distrist Magistrate and the superintendent of police, Munger to grant the petitioner necessary security and House Guard. Such request of the state Government has been considered by the District Magistrate, Superintendent of police, Munger and the Dy.S.P., Special Branch. Munger under their Minutes dated 22-10-11, Annexure-21 and rejected holding that petitioner does not suffer any security threat within the district of Munger.*

4. In such views of the matter. I am not inclined to proceed with the writ petition. petitioner, however, is at Liberty to challenge the Minutes of the District Magistrate, Superintendent of police, and the Dy.S.P., Special Branch. Munger before the State of Government in the Home Department. The Home Department should take appropriate decision in the matter within a reasonable time, not exceeding two months from the date of receipt/production of a copy of this order before the compent authority in the Home Deparment.

6. The writ petition is, accordingly, disposed of."

तदोपरान्त सरकार के अवर सचिव श्री अमरेश कुमार सिन्हा के पत्रांक 7216, दिनांक 05.09.12 से यह स्पष्ट नहीं होता है कि क्या CWJC सं0–2508/12 में दिनांक 03.08.12 को पारित आदेश के उपरान्त श्री विजय कुमार सिंह ने अंगरक्षक उपलब्ध कराने हेतु कोई आवेदन दिया है अथवा नहीं तथा पत्र में भी उनका कोई आवेदन संलग्न नहीं है।

यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या उनके कोई आवेदन को प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग के संज्ञान में लाया गया है अथवा नहीं, क्योंकि श्री विजय कुमार सिंह के मामले में ही पूर्व वर्ष में अवर सचिव, गृह विभाग द्वारा लिखे गये पत्र के कारण संशय की स्थिति उत्पन्न होने के फलस्वरूप प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, पटना को MJC सं0 3271/11 में स्वयं कारणपृच्छा देना पड़ा था एवं तदोपरान्त आवेदक द्वारा MJC आवेदन वापस ले लिया गया था। अतः निर्णय लिया गया कि अवर सचिव श्री अमरेश कुमार सिन्हा के पत्र पत्रांक 7216, दिनांक 05.09.12 की छायाप्रति प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, पटना को भेजते हुये अनुरोध किया जाये कि CWJC सं0-2508/12 में दिनांक 03.08.12 को पारित आदेश के उपरान्त सम्यक विचारोपरान्त निदेश से अवगत कराने की कृपा की जाये।

विदित हो कि गृह विभाग के पत्रांक 13161, दिनांक 30.08.11 एवं श्री विजय कुमार सिंह के अंगरक्षक हेतु आवेदन पर विचारोपरान्त जिला सुरक्षा समिति की बैठक में निर्णय लेते हुये पहले ही उनके आवेदन को अस्वीकृत किया जा चुका है तथा परिस्थितियों में कोई बदलाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। अतः पूर्व निर्णय, जो ज्ञापांक 2587/गो0, दिनांक 23.10.2011 से प्रेषित है को बरकरार रखते हुये श्री विजय कुमार सिंह को मुंगेर जिले से अंगरक्षक न देने का निर्णय लिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

अनुलग्नक –

1 MJC सं0 3271/11 मे दिनांक 04.01.12 को पारित आदेश की वेब प्रति।
2. CWJC सं0 2508/12 में दिनांक 03.08.12 को पारित आदेश की वेब प्रति।
3. इस कार्यालय से निर्गत ज्ञापांक 2587/गो0, दिनांक 23.10.11 के साथ संलग्न सभी अनुलग्नकों सहित।

23.11.12
पुलिस उपाधीक्षक,
विशेष शाखा, मुंगेर।

23/11/12
पुलिस अधीक्षक,
मुंगेर।

23/11/12
जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 2242/गो0, दिनांक 26/11/2012

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर/परिचारी प्रवर नवीन आरक्षी केन्द्र, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/11/12
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2242/गो0, दिनांक 26/11/2012

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, गृह विभाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

23/11/12
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Miscellaneous Jurisdiction Case No.3271 of 2011
Bijay Kumar Singh
Versus
Union Of India & Ors.

----

4. 4.1.2012 After some argument, Mr. Y. V. Giri, learned Senior Counsel for the petitioner seeks permission to withdraw the contempt application with liberty to file a fresh writ application in view of the stand taken by the Principal Secretary, Home Department, Government of Bihar, Patna in his show cause.

The contempt application is, accordingly, dismissed as withdrawn with liberty to the petitioner to agitate the matter in a fresh writ petition.

VPS (Ramesh Kumar Datta, J.)

WEB COPY NOT OFFICIAL

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.2508 of 2012

WEB COPY NOT OFFICIAL

Bijay Kumar Singh S/O Sri Srimohan Singh Resident Of Quarter No. - 151, Buddha Colony, P.S. Buddha Colony, District - Patna

.... Petitioner

Versus

1. Union Of India, Through Its The Home Secretary, Govt. Of India, New Delhi
2. The Home Secretary, Govt. Of India, New Delhi
3. The State Of Bihar, Through Its The Chief Secretary, Govt. Of Bihar, Patna
4. The Home Secretary, Govt. Of Bihar, Patna
5. The Under Secretary, Home (Special) Department, Govt. Of Bihar, Patna
6. The Senior Superintendent Of Police, Patna
7. The Superintendent Of Police, Jamui
8. Sri Kuldip Narayan, District Magistrate, Munger
9. Sri P. Kanan, Superitendent Of Police, Munger

.... Respondents

Appearance :

For the Petitioner	:	M/s Bipin Bihari Singh & Rakesh Ranjan, Advocates
For the Union	:	M/s Ragib Ahsan, ASG, Sr. Advocate, Gopesh Kumar, CGC
For the State	:	M/s Prahlad Kumar Bhagal, G.P.-13 & B. Kumar, AC to G.P.-13

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE V.N. SINHA
ORAL ORDER

2 03-08-2012 Heard learned counsel for the parties.

2. By filing this writ petition, petitioner states that the State Government has already passed orders for providing security to him, but such security is not being allowed because of the apathy of the District Magistrate and Superintendent of Police, Munger, reason being that they are under the influence of another Minister who hills from the same area.

3. It appears, the State Government under order bearing letter No. 13161 dated 30.8.2011 giving reference to the request made by the Government of India called upon the District Magistrate and the Superintendent of Police, Munger to grant the petitioner necessary security and House Guard. Such request of the State Government has been considered by the District Magistrate, Superintendent of Police, Munger and the Dy.S.P., Special Branch, Munger under their Minutes dated 22.10.2011, Annexure-21 and rejected holding that petitioner does not suffer any security threat within the district of Munger.

4. In such vies of the matter, I am not inclined to proceed with the writ petition. Petitioner, however, is at liberty to challenge the Minutes of the District Magistrate, Superintendent of Police and Dy.S.P., Special Branch, Munger before the State Government in the Home Department. The Home Department should take appropriate decision in the matter within a reasonable time, not exceeding two months from the date of receipt/ production of a copy of this order before the competent authority in the Home Department.

5. The writ petition is, accordingly, disposed of.

(V.N. Sinha, J)

Arjun/-

जिला पदाधिकारी, मुंगेर सह अध्यक्ष, जिला स्तरीय सुरक्षा समिति की अध्यक्षता में दिनांक 22.10.2011 को सम्पन्न श्री विजय कुमार सिंह, अध्यक्ष, राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक सीमित, बिहार एवं झारखण्ड को अंगरक्षक उपलब्ध कराने हेतु जिला सुरक्षा समिति की विशेष बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति -

1. श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला सुरक्षा समिति, मुंगेर।
2. श्री पी0 कन्नन, पुलिस अधीक्षक, मुंगेर।
3. श्री नागेन्द्र कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर।

यह विशेष बैठक राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक सीमित, बिहार एवं झारखण्ड के अध्यक्ष, श्री विजय कुमार सिंह, पिता- श्री मोहन सिंह द्वारा दायर एम0जे0सी0 सं0 3271/2011 के कारण उनकी सुरक्षा से संबंधित अंगरक्षक प्रतिनियुक्त करने के बिन्दु पर आहूत की गयी है।

पूर्व सम्पन्न बैठक दिनांक 18.06.2011 एवं 20.08.2011 (दोनों कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न) में पहले से ही इस मामले पर पूरा विचार किया गया था जिसमें यह पाया गया था कि आवेदक श्री विजय कुमार सिंह मुंगेर जिले में निवास नहीं करते हैं अतः उन्हें इस जिले से सुरक्षा प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं है। इस बीच उक्त एम0जे0सी0 सं0 3271/2011 में प्रतिशपथ पत्र दायर करने के क्रम में यह ज्ञात हुआ है कि आवेदक श्री विजय कुमार सिंह ने एम0जे0सी0 सं0 3271/2011 में पूरक प्रतिशपथ पत्र दायर किया है जिसमें गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 13161, दिनांक 30.08.2011 एवं पत्रांक 13485, दिनांक 09.09.2011 का उल्लेख किया गया है। उक्त दोनों पत्र इस कार्यालय को अप्राप्त है एवं प्रथम बार श्री विजय कुमार सिंह द्वारा दायर पूरक प्रतिशपथ में ही देखने को मिला है। अतः इन दोनों पत्रों के आलोक में पुनः इस मामले पर पुनर्विचार किया गया एवं पुनर्विचार के दौरान निम्न तथ्य स्पष्ट हुये एवं तदनुसार निर्णय लिये गये :-

1. श्री विजय कुमार सिंह, मुंगेर जिले में नहीं रहते हैं, यह तथ्य टेटियाबंबर की निर्वाचक नामावली, चकाई विधानसभा के निर्वाचन चुनाव में उनके नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र एवं उनके द्वारा इस एम0जे0सी0 में उनके आवेदन में अंकित पते से भी ज्ञात होता है।
2. पुलिस अधीक्षक, जमुई के पत्रांक 3201/गो0, दिनांक 08.10.2011, जो पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को संबोधित है, के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमुई जिले में श्री विजय कुमार सिंह का निवास रहने के कारण जमुई जिले से बिना भुगतान के आधार पर दो अंगरक्षक उनके साथ प्रतिनियुक्त है।

77/१८०

3. गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 13161, दिनांक 30.08.2011 एवं पत्रांक 13485, दिनांक 09.09.2011 संभवतः पूर्ण सूचना नहीं रहने के कारण ही प्रेषित किया गया है।

4. चूँकि आवेदक का निवास इस जिले में नही है तथा जमुई जिले से पहले ही उन्हें अंगरक्षक प्रतिनियुक्त किया जा चुका है।

अतः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मुंगेर जिला से उनके साथ कोई अंगरक्षक नहीं दिया जाय।

5. यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले जून, 2011 से अबतक श्री विजय कुमार सिंह के मुंगेर में आने की सूचना मात्र एक बार हुई है एवं उक्त अवधि में उनके ठहराव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, मुंगेर के संवाद सं0 2863/गो0, दिनांक 10.06.2011 द्वारा पर्याप्त सुरक्षा हेतु प्रबंध किया गया था।

6. विचारण के दौरान यह ज्ञात होता है कि पूर्व में दी गयी सुरक्षा पर अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में श्री विजय कुमार सिंह पर 1,97,470.00 (एक लाख सन्तानवे हजार चार सौ सत्तर) रू0 बकाया है जिसका भुगतान अबतक उनके द्वारा नहीं किया गया है।

अतः पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को निदेश दिया गया कि पुनः इस राशि को जमा करने के लिए उन्हें नोटिस निर्गत किया जाय एवं यदि उनके द्वारा ससमय राशि जमा नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करने की कार्रवाई की जाय।

7. चूँकि पूर्ण सूचना नहीं रहने के कारण गृह (विशेष) विभाग के अवर सचिव का पत्र 13161, दिनांक 30.08.2011 एवं 13485, दिनांक 09.09.2011 निर्गत किया गया है।

अतः निर्णय लिया गया कि इस पूरे मामले की सूचना प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

22/10

76/८०

8. साथ ही पूर्व सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 7776/2011 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा dismissed as insfructuous कहते हुए खारिज किया गया है किन्तु इसके उपरान्त पुनः एम0जे0सी0 दायर करने में श्री विजय कुमार सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय से यह तथ्य भी छुपाया है कि उन्हें जमुई जिला से अंगरक्षक उपलब्ध कराया जा चुका है एवं इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय को भी अंधेरे में रखकर गलत आदेश प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

अतः इसकी सूचना सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय को दी जाय।

तत्पश्चात् धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

22/10/11

पुलिस उपाधीक्षक,
विशेष शाखा, मुंगेर।

पुलिस अधीक्षक,
मुंगेर।

22/10/11

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 2587/गो0, दिनांक 23-10-2011

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/10/11

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2587/गो0, दिनांक 23-10-2011

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

22/10/11

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।